[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 06/2018- केंद्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 02 फरवरी, 2018

सा0का0नि0 (अ).--केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 111 की उपधारा (3), वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की धारा 133 की उपधारा (3) और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 29/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 मई, 2002, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 362(अ), तारीख 13 मई, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है ।

(फा.सं. 334/4/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार